न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 30/2021 (08/2018) सी.आई.एस. नं. 09/2018

रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम पूरणमल

दिनांक 15.01.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वास्ते सहमति पत्र दिनांक 29.08.2013 पर हस्ताक्षरों की एफ.एस.एल. जांच हेतु भेजे जाने का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी के द्वारा वादिया सं. 1 के नाम का सहमति पत्र दिनांक 29.08.2013 को न्यायालय में पेश किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है, जिस पर वादी सं. 1 के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त सहमति पत्र फर्जी है। वादी सं. 1 के नाम का अन्य व्यक्ति के द्वारा स्टाम्प लेकर फर्जी व कूटरचित सहमति पत्र दिनांक 29.08.2013 का बनाया गया है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है, जिसमें कथित सहमति पत्र का उल्लेख किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुलजवाब में उक्त सहमति पत्र के निष्पादन से इनकार कर फर्जी व कूटरचित होना बताया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त सहमति पत्र दिनांक 29.08.2013 पर हो रखें हस्ताक्षरों की वादिया सं. 1 के सही हस्ताक्षर लेकर एफ.एस.एल. से जांच करवाए जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत करते समय सहमति पत्र व अन्य दस्तावेज, जो फर्द के साथ संलग्न किए गए कि नकल वादीगण के अधिवक्ता को दिला दी थी।

दुबारा उक्त दस्तावेजों को मांगने पर उन्हें उपलब्ध करवाया गया। वादिया सं. 1 द्वारा अन्य परिवारजन के साथ–साथ सहमति पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर करते हुए गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था। मूल सभी सहमति पत्र वादिया की अभिरक्षा में मौजूद थे। कानूनन फोटोप्रति से हस्ताक्षरों की जांच नहीं हो सकती है। उक्त दस्तावेज के फर्जी होने के संबंध में वादिया ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि स्वयं ने ही उक्त दस्तावेज टाइप करवाकर गवाहान के हस्ताक्षर कर नोटेरी से तस्दीक करवाया है। असली सहमति पत्र वादिया के कब्जे में है। अतः प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा जरिए प्रार्थना पत्र दस्तावेज दिनांक 29.08.2013 पर वादिया के हस्ताक्षर फर्जी होने व अन्य व्यक्ति के द्वारा वादिया सं. 1 के नाम का स्टाम्प लेकर फर्जी कूटरचित सहमति पत्र बनाए जाने से उस पर अंकित हस्ताक्षरों की वादिया सं. 1 के सही हस्ताक्षर लेकर एफएसएल से जांच करवाने का निवेदन किया है। इस संबंध में प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावा व दस्तावेज सहमति पत्र दिनांक 29.08.2013 का अवलोकन किया गया। वादिया ने जिस दस्तावेज को फर्जी व कूटरचित होना बताया है, उक्त दस्तावेज सहमति पत्र फोटो प्रति दस्तावेज है। असल दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेज असल प्रतिवादी के पास होना बताते हुए वादिया के द्वारा उसे तलब करवाए गया था, परंतु असल प्रस्तुत नहीं होने पर वादिया द्वारा उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन करने पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.01.2024 को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया, परंतु उक्त दस्तावेज फोटो प्रति दस्तावेज है व एफएसएल जांच के लिए असल दस्तावेज होना आवश्यक है।

“Authenticated Document”

फोटो कॉपी दस्तावेज में हस्ताक्षरों के उभार, इम्प्रेशन की जांच नहीं की जा सकती है। फोटो कॉपी में सुपर इम्पजेशन का भी पता लगना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि न्यायालय में असल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः फोटो प्रति दस्तावेज को एफएसएल में जांच हेतु प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज दिनांक 29.08.2013 का है तथा हस्तगत वाद दिनांक 20.02.2018 को वादिया द्वारा पेश किया गया था। उक्त दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के साथ दिनांक 17.07.2018 को पेश किया गया था। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत होने के पश्चात् या वादिया की जानकारी में आने के पश्चात् वादिया ने प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त दस्तावेज के फर्जी कूटरचित होने के संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही प्रतिवादी के विरूद्ध की हो, इस संबंध में कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र उक्त दस्तावेज के प्रस्तुत होने के करीब 6 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। विलंब से प्रस्तुत किए जाने का कोई आधार भी प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज फोटो प्रति दस्तावेज होकर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया है, परंतु प्रकरण में वादिया का साक्ष्य शपथ पत्र, जो दिनांक 07.02.2023 को प्रस्तुत हुआ है, के पश्चात् उक्त दस्तावेज को अभी तक साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में भी जबकि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में पेश ही नहीं हुआ है, ना ही प्रदर्शित करवाया गया है, उसे एफएसएल जांच हेतु प्रेषित किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है, अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 28.01.2026 को पेश हो।

GANPAT SINGH SOLANKI
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.01.15 16:22:19 +0530

“Authenticated Document”